बेबी रानी मौर्य
राज्यपाल, उत्तराखण्ड
एवं कुलाधिपति,
हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

सत्यमेव जयते

राजभवन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः /जी0एस0/शिक्षा/C15-2(TC)/2020
देहरादून : दिनांक 12 नवम्बर, 2020

आदेश

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–10(5)(ख) व धारा–10(6) में हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अध्यादेश–2020 द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार कुलपति पद हेतु 05 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक नियुक्ति का प्रावधान किया गया था किन्तु अध्यादेश के प्रभावी रहने की अधिकतम अवधि '06 माह' अथवा विधान सभा सत्र में अधिनियम पारित होने तक, जो भी पूर्व हो, तक ही है। इस तथ्य के दृष्टिगत आदेश संख्या–208/जी0एस0/शिक्षा/ C15-2(TC)/2020 दिनांक 14 मई, 2020 के द्वारा हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर पूर्व से कार्यरत डा0 हेम चन्द्र का कार्यकाल दिनांक 15.05.2020 से अग्रेत्तर '06 माह' की अवधि हेतु विस्तारित किया गया था जो कि दिनांक 14.11.2020 को समाप्त हो रहा है।

चूँकि हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति की आयु बढ़ाये जाने विषयक संशोधन विधेयक–2020 भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत संदेश सहित पुनर्विचार हेतु विधानसभा को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है व नियमित चयन होने में अभी समय लगना सम्भावित है, अतः एतद्द्वारा हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–10(7) के अधीन कुलाधिपति में निहित शक्तियों के अन्तर्गत दिनांक 15.11.2020 से अग्रेत्तर 06 माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रो0 हेम चन्द्र, कुलपति हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति का कार्यकाल विस्तारित किया जाता है।

बेबी रानी मौर्य
कुलाधिपति

संख्या : 1975 (1)/जी0एस0/शिक्षा/C15-2(TC)/2020, तददिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4- डा0 हेम चन्द्र, कुलपति, हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6- निदेशक, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7- अधिशासी कुलसचिव, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8- कुलसचिव, हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
9- कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।